संख्या-59/2022/1059/26-3-2022-1000/2018

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 मई 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद महराजगंज के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-95-97/स0क0/विकास/एकीकृत-54/2022-23, दिनांक-28.04.2022 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-01-789-10-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख (रू0 दो हजार लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिये स्वीकृत धनराशि मोटे तौर पर वर्ष 2022-23 के अनुमानित व्यय का 4/12वां भाग अर्थात लेखानुदान में से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज के विकासखण्ड-परतावल एवं घुघली के ग्राम-बेलवा बुजुर्ग, रामपुर उपाध्याय, विश्वनाथपुर एवं महावनखोर उर्फ बड़हरा में सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-87.66 लाख (रू0 सतासी लाख छियासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-महराजगंज (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य की लागत	चतुर्थ किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	परतावल	बेलवा बुजुर्ग	188.94	21.915
2	परतावल	रामपुर उपाध्याय	168.99	21.915
3	घुघली	विश्वनाथपुर	176.32	21.915
4	घुघली	महावनखोर उर्फ बड़हरा	137.65	21.915
	योग		**671.90**	**87.660**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको (यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0) लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुपात में कार्य कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8)-लेखानुदान के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से स्वीकृति केवल चालू योजनाओं पर ही दी जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपभोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।

(9)-उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक-29.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत की जा रही है। कृपया उक्त शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंूजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

अशोक कुमार यादव
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0संख्या- 59/2022/1059(1)/26-3-2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।